बिहार सरकार

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस0आई0ए0) की अधिसूचना

(अधिनियम 30/2013 की धारा–1 के अधीन)

चूँकि समाहर्त्ता, **पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी** को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना–**बुढ़ी गंडक** नदी पर कटहाँ घाट में **निर्माणाधीन उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहूँच पथ** निर्माण हेतु ग्राम–**कटहाँ** (चादर न0–02), थाना न0–162, **में 2.87 एकड़/ग्राम–इमिलिया (चादर न0–01), थाना न0–163 में 2.955 एकड़,** अंचल–**मेहसी**, अनुमंडल–**चकिया**, जिला–**पूर्वी चम्पारण** में कुल–**5.825 एकड़** भूमि अपेक्षित है, इसलिए भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (30/2013) की धारा–4 तथा बिहार भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2014 के नियम–6 के उपनियम (1) एवं एतद् संबंधी निर्गत राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 647/रा0 दिनांक–09.05.14 के अधीन राज्य एस0 आइ0 ए0 इकाई **अनुग्रह नारायण सिंह, समाज अध्ययन संस्थान, पटना** को उक्त परियोजना के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

1 परियोजना का नामः–**बुढ़ी गंडक नदी पर कटहाँ घाट में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहूँच पथ निर्माण परियोजना।**

2 परियोजना का संक्षिप्त विवरणः–**वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, विशेष कार्य प्रमंडल, चकिया।**

3 परियोजना का क्षेत्रः–**5.825 एकड़**

4 अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि/भू–खण्ड का विवरणः–**विवरणी संलग्न**

5 एस0आइ0ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र– ग्राम–**कटहाँ (चादर न0–02)**, थाना न0–**162**, में **2.87 एकड़/ग्राम–इमिलिया (चादर न0–01), थाना न0–163 में 2.955 एकड़**

6 एस0आइ0ए0 के प्रमुख उद्देश्य एवं क्रियाकलापः–परामर्श,सर्वेक्षण, प्रभावित परिवारों की सूची,
पुनर्वासित होनेवाले परिवारों की सूची,
लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ, इत्यादि।

7 एस0आइ0ए0 के लिए टाइमलाईन और अंतिम परिदेय (TOR के अनुसार):–**2 (दो) माह**

8 राज्य एस0आइ0ए0 इकाई की सम्पर्क सूचनाः–**9471624074, 7765962130**

एस0आइ0ए0 अध्ययन अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई एवं जाँचोपरान्त यह कृत सही पाये जाने पर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को अकृत और शून्य कर दिया जायेगा।

ह0/—

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

ज्ञापांक 03 दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपिः—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—निदेशक, भू—अर्जन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः—आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—राज्य एस0आइ0ए0 इकाई अनुग्रह नारायण सिंह, समाज अध्ययन संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अंचल अधिकारी, मेहसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—संबंधित मुखिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला के बेब साइट पर प्रकाशन हेतु NIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.1.18

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी